न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–38 / 2019 दायर दिनांक: 01.04.2019
GCMS NO:- 2019/00298
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. राधाकिशन पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी धानुगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।
2. गीता बाई पुत्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासी धानुगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय बून्दी जिला बून्दी ।
2. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादी के अभिभाषक श्री सीताराम धाकड।

निर्णय दिनांक 10.08.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम धानुगॉव पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैंनवां में भूमि खसरा सं. 217 रकबा 11–02 बीघा भूमि स्थित है। जिसका खातेदार शंकर वल्द माधो लीजदार खातेदार दर्ज है। यह कि वादीगण के काका शंकर के साथ उनका छोटा भाई धन्ना वल्द माधो वर्णित भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है और शंकर की करीब 40 वर्ष पूर्व नाओलाद फोत गया जिसका एक मात्र वारिस सगा भाई धन्ना जी थे। धन्ना जी का देहावसान करीब 15 वर्ष पहले हो गया जिनके एक मात्र वारिस वादीगण है, जिनके नाम नामान्करण खुला है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। वादीगण कृषि भूमि पर कब्जा होने से कब्जा मुखालफनामा द्वारा भी खातेदार कृषक बन चुका है। यह कि राजस्व रिकॉर्ड में लीजदार दर्ज होने से वादीगण को बैंक से के.सी.सी. लेने, कृषि भुमि रहन रखने व कृषि भूमि को उपजाउ बनाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने में परेशानी पैदा होती है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खसरा सं. 217 रकबा 11–02 बीघा पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजदारी शब्द विलोपित कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में खसरा गिरदावरी प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेश, रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श–4 तथा शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब / रिपोर्ट तलब किया गया। जवाब सरकार पैरोकार अनुसार ग्राम धानुगॉव पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैंनवां में भूमि खसरा सं. 217 रकबा 11–02 बीघा भूमि राधाकिशन व गीता के नाम लीजदार दर्ज है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब सरकार पैरोकार का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम धानुगॉव पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैंनवां में भूमि खसरा सं. 217 रकबा 11–02 बीघा भूमि राधाकिशन व गीता के नाम लीजदार शब्द विलोपित कर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नैनवाँ** ब इजलास श्योराम (आर.ए.एस.)

1. राधाकिशन पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी धानुगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।
2. गीता बाई पुत्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासी धानुगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय बून्दी जिला बून्दी ।
2. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी एक्ट

मुकदमा नं. 38 **दावा 2019** सन् ....2019...................यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ....–......................... .... मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

ग्राम धानुगॉव पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैंनवां में भूमि खसरा सं. 217 रकबा 11–02 बीघा भूमि राधाकिशन व गीता के नाम लीजदार शब्द विलोपित कर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

....

..................................चीज ....–.................... मुबलिग ....–........................ बाबत ... .–.............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–................................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–................. .... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 08 सन्. 2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....(हस्ताक्षर)
ओहद ..उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मुतफरिक मीजान	–	–		–	–

मुहर

दस्तखत ....
ओहद ....(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)